तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नरेन्द्रसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 70/2023 (ऑन लाईन नं. 35380174403165)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.23	अपीलार्थी नरेन्द्रसिंह निवासी बड़ला बासनी, तहसील तिवरी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.01.2023 में उसके द्वारा (1) मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार विशेषाधिकारी, मुंख्यमंत्री पत्र कमांक मु.मं. विशेषा. (एमके)प.2(कले/जोधपुर/22/7137 जयपुर दिनांक 20.12.22 की पालना में सूचना उपलब्ध कराने की दिनांक तक की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 251 दिनांक 02.03.23 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा से संबंधित होने से धारा 5(4) के तहत कार्यालय पत्रांक 212 दिनांक 21.02.23 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभाव नहीं है। अपनी रिपोर्ट में प्रभारी अधिकारी मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण इन्हें धारा 5(5) के तहत लोक सूचना अधिकारी मानते हुए सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान करने की इस्तदुआ की। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रभारी अधिकारी, मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी, मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा (लोक सूचना अधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना शीघ्र उपलब्ध करावे। आदेश की पति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	